E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2022; 4(2): 102-104
Received: 04-03-2022
Accepted: 10-04-2022

अरूण कुमार
शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग,
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
अरूण कुमार
शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग,
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

महिला विमर्श बनाम समाज

अरूण कुमार

सारांश
महिला विमर्श की आधारशिला महिला सशक्तिकरण है। सामान्य शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है 'महिलाओं को शक्तिसम्पन्न बनाना' लेकिन महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी अर्थात क्या महिलायें निःशक्त है? क्या महिलाओं का सशक्तिकरण सरकारी योजनाओं द्वारा सम्भव है? इस प्रकार के प्रश्न इस संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक हैं। समस्त विश्व में इतिहास के किसी-न-किसी दौर में महिलाओं के प्रति भेदभाव करता गया है या फिर जानबूझकर उनकी अनदेखी की गयी। समाज का दृष्टिकोण भी उनकी निम्न स्थिति के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। जब महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए समाज द्वारा रूढ़िवादी दृष्टिकोण का अपनाया जाना जिम्मेदार होता है तो इसे 'लिंग आधारित भेदभाव' कहकर पुकारा जाता है।

कूटशब्द: महिला विमर्श, महिला सशक्तिकरण, रूढ़िवादी दृष्टिकोण

प्रस्तावना
महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, "एक महिला को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जाना जिससे वह अपना सम्पूर्ण विकास कर सके।" इससे स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में महिलाओं के प्रति जारी सभी प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन किया जाना चाहिए जो उनके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि वे महिला हैं। रेणुका चौधरी के शब्दों में- "सशक्तिकरण का अर्थ है-आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास यदि कोई महिला अपने आत्मसम्मान के प्रति सजग है, आत्मनिर्भर है और अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति आत्मविश्वास से भरी हुई है तो कहा जायेगा कि वह सशक्त है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा की निम्न विशेषताये हैंसभी प्रकार के भेदभाव जो समाज द्वारा महिलाओं के प्रति किये जाते हैं का निषेध करती है। महिलाओं को विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने की पक्षधर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें लाभ पहुँचाने हेतु सकारात्मक प्रयास करती हैं महिलाओं को शिक्षित बनाने पर जोर देती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानती है। महिलाओं के विकास को सम्पूर्ण समाज के विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में देखती है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण एक व्यापक अवधारणा है, जो महिलाओं के सम्पूर्ण विकास की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करके यह उनको आत्मनिर्भर बनाने की प्रबल पक्षधर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, महिलाओं के विकास को सम्पूर्ण समाज के विकास की पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार करना।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं की अपने आपको संगठित करने की क्षमता बढ़ती तथा सुदृढ़ होती है। वे लिंग, तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति और परिवार व समाज में भूमिका के आधार पर निर्धारित संबंधों को दरकिनार करते हुए आत्मनिर्भरता विकसित करती है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह भी है कि महिलायें सामाजिक आन्दोलनों में भाग ले सकें और उनका नेतृत्व करते हुए प्रगति के मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को हटा सके।

यदि हम महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आखिर महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि लम्बे समय से महिलाओं के प्रति जारी समाज का भेदभाव ही इसके लिए जिम्मेदार रहा है। कहा जाता है कि एक महिला के साथ "जन्म से लेकर कब तक सतत् रूप से भेदभाव जारी रहता है।" महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार वर्णितं किया जा सकता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कई प्रकार की बाधायें रही हैं। इन बाधाओं को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। यथा सामाजिक बाधायें, राजनीतिक बाधायें आर्थिक बाधायें आदि। भारत में महिला सशक्तीकरण की प्रमुख बाधाओं को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता हैसामाजिक बाधायें –

- सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। भेदभावपूर्ण व्यवहार का यह कार्य चक्रीय क्रम में सतत् रूप से उनको कमजोर बनाये रखता है। जो महिलायें सामाजिक व्यवस्था के भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करती हैं उनको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ व परम्परायें महिलाओं को मात्र कर्तव्यों की दासी के में प्रतिष्ठित करती है उनके अधिकारों के प्रश्न पर इनका उचित दृष्टिकोण नहीं है।
- समाज में लम्बे समय से चली आ रही पुरुषवादी मानसिकता ने महिलाओं को कमजोर बनाये रखा है। पुरुष के वर्चस्व को स्थापित करने वाली सामाजिक संस्थायें दूसरी तरफ महिलाओं के पतन का मार्ग खोलती है, जिससे अन्ततः समाज का ही नुकसान होता है।
- बालिका का इस प्रकार से समाजीकरण किया जाता है कि वह दूसरों पर निर्भर रहती है, उसको आत्मनिर्भर बनाये जाने की किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का अभाव भी एक समस्या है।
- समाज में महिला सशक्तिकरण या सशक्त महिला के उचित मापदण्ड का अभाव भी एक प्रमुख समस्या रही। सशक्तिकरण का अर्थ मनमानी करने की छूट नहीं है। कुछ महिलाओं ने पश्चिम का अन्धानुकरण करके महिला आन्दोलन को कमजोर किया है। देश-विदेश की सभ्यता, संस्कृति व आवश्यकता के अनुरूप ही सशक्त नारी की तस्वीर उभरनी चाहिए।

आर्थिक वाधायें

- महिलाओं का अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित होना उनके सशक्तिकरण के मार्ग की मुख्य बाधा है।
- महिलाओं में आर्थिक असुरक्षा की भावना उनके आत्मविश्वास को क्षीण कर देती है जिससे वे सशक्तिकरण के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं कर पाती।
- आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों यथा उद्योग व्यापार, शेयर बाजार, बड़ी कम्पनियों आदि में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं माना जा सकता। वैसे इन्द्रा नूयी, किरण सा मजूमदार आदि के नाम इस क्षेत्र में अत्यन्त सम्मान से लिये जाते हैं।
- घरों की जिम्मेदारी संभालने, बच्चों की देखभाल, लालन-पालन की जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य अनिवार्य रूप से महिलाओं द्वारा किये जाते हैं परन्तु इसके बदले में कोई आर्थिक मूल्य उन्हें प्राप्त नहीं होता जो उन्हें सशक्त बनने की मार्ग की बाधा सिद्ध होती है।

राजनीतिक वाधायें

- राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने में प्रमुख बाधा उनके नेतृत्व को पुरुषवादी मानसिकता के व्यक्तियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना है। आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग सोचता है कि महिलाओं का जन्म ही चौकाचूल्हा करने के लिए हुआ है।
- पंचायतों में जहाँ उन्हें एक तिहाई सीटों का आरक्षण मिला हुआ है, उनके कर्तव्यों का निर्वाह परोक्ष रूप से पुरुष संबंधियों द्वारा किया जाता है जो अनुचित होने के साथ-साथ सशक्तिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा है।
- संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के मामले को राजनीतिज्ञ जानबूझकर लटका रहे है। इससे

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा पा रहा है।

- राजनीति में महिलाओं के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के बाद भी निर्णय प्रक्रिया में उसकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। राजनीतिक दलों में उनको पर्याप्त महत्व प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते है कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग की बाधायें बहुआयामी है। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई है।

महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति के मार्ग की इन बाधाओं के कारण आधा समाज अपने अधिकारों से वंचित है या फिर अपने अधिकारों का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाओं को हटा दिया जाये और एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जाये। महात्मा गाँधी जी के अनुसार “स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी का समझीता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में महिलाओं पर भी ऐसा कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिए जो कि पुरुषों पर न लगाया गया हो। पुत्र और पुत्री में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए।”

वर्तमान समय का सबसे ज्वलन्त विषय कन्या भ्रूण हत्वा है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का यह क्रूरतम एवं घृणित रूप है। एक ओर जहाँ महिला सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उसके जन्म लेने पर ही प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं शोध छात्र राजनीति शास्त्र विभाग ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का है। यह अत्यन्त चिंता का विषय है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा (Women's Empowerment and Education) शिक्षा मानव मुक्ति का हथियार है। शिक्षा व्यक्ति के सशक्तिकरण का सर्वा धक प्रभावशाली उपकरण है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की अत्यन्त सकारात्मक भूमिका है। आज महिलाओं ने जो प्रगति की है उसके पीछे शिक्षा की आधारभूत भूमिका रही है।

निष्कर्ष

शिक्षा ही वह माध्यम है जो महिलाओं में न केवल आत्मविश्वास जागृत करती है बल्कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने एवं अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति भी पैदा करती है। शिक्षित महिला अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचानकर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही महिला विज्ञान, कौशल, जीवन मूल्य एवं दृष्टिकोण हासिल कर सकती है, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके। महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के साथ-ही-साथ यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि स्वैच्छिक संस्थायें, सक्रिय सहयोग प्रदान करे। स्वयंसेवी संगठन एवं सम्पूर्ण समाज इस प्रवास में सक्रिय सहयोग प्रदान करे। तभी महिला सशक्तिकरण और महिला विमर्श अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

संदर्भ सूची

1. कमलेश्वर चौधरी, "वुमन्स आपरेशन इन इण्डिया द गाँधीवन व्यू", गाँधी मार्ग, जनवरी-मार्च 1998, पू.-473, साथ ही गाँधी की स्त्रियों से सम्बन्धित विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों के सम्बन्ध में देखिये, राजन महान, वीमन इन इण्डियन नेशनल कांग्रेस, रावत पब्लिकेशन, जयपुर/नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ - 84-89.
2. प्रतिभा जैन, "भारतीय स्त्री: परम्परा और आधुनिकता-गाँधीय दृष्टिकोण", प्रतिभा जैन, संगीता शर्मा (सं.), भारतीय स्त्री: सांस्कृतिक संदर्भ रावत पब्लिकेशन, 1998, जयपुर, 237.
3. गाँधी: संस्मरण और विचार, गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान तथा सस्ता साहित्य मण्डलका संयुक्त प्रकाशन, नई दिल्ली, 1968, 354.
4. कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गाँधी, खण्ड-2, पृष्ठ 308).
5. भारत की जनगणना 2001.